इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में शरीर के अंगों को पकड़ने व कपड़े खींचने को अपराध नहीं माना था

■ **जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बैंच ने स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया और असहमति जताई।**

नयी दिल्ली, 26 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना दुष्कर्म के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से कड़ी असहमति व्यक्त की और इसे 'चौंकाने वाला' बताया।

न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, यह एक गंभीर मामला है। न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता बरती गई है। यह समन जारी करने के चरण में था। हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग करने के लिए खेद है।

पीठ ने इन टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया और भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में शामिल पक्षों को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हालांकि शीर्ष न्यायालय को आमतौर पर इस चरण में रोक लगाने में हिचक है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गयी टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों के विपरीत थीं और एक अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती थीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर सहमति जताते हुए कि यह एक 'चौंकाने वाला' फैसला था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले को लिया गया, वह बेहद गंभीर था। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रोस्टर के मास्टर के रूप में कदम उठाने चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता की ओर से एनजीओ 'वी द वूमन ऑफ इंडिया' का प्रतिनिधित्व करते हुए विवादास्पद फैसले को उजागर करते हुए एक पत्र लिखे जाने के बाद मामला शीर्ष न्यायालय पहुंचा। एक अन्य एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' ने कहा कि वह भी मामले में पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, एनजीओ 'वी द वूमन ऑफ इंडिया' ने हमारे संज्ञान में लाया कि 17 मार्च, 2025 को पारित फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से पता चलता है कि फैसले के लेखक में संवेदनशीलता की कमी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया, बल्कि करीब चार महीने तक इसे सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उचित विचार-विमर्श और दिमाग लगाने के बाद फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि चूंकि टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए टिप्पणियों पर रोक लगाना मजबूरी है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 मार्च-2025 को अपने आदेश में कहा था कि इस तरह के कृत्य प्रथम दृष्टया यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध बनेंगे, जिसमें कम सजा का प्रावधान है।

कांग्रेस के 70 सांसद लोकसभाध्यक्ष बिड़ला से मिले

नयी दिल्ली, 26 मार्च। लोकसभा के कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई के नेतृत्व में पार्टी के 70 सदस्यों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से उनके कक्ष में मुलाकात की और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। गोगोई के साथ इस दौरान कांग्रेस महासचिव तथा पार्टी के लोकसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर सहित, पार्टी के 70 लोकसभा सदस्यों ने बिरला से मिलकर गांधी को बोलने नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए विरोध दर्ज किया।

पेपर लीक केस, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षाओं के पेपर लीक करने लग गया। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के दौरान भी इन सभी ने पेपर लीक किया था, जिससे परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। राजेन्द्र कुमार यादव इस स्कूल में परीक्षा प्रभारी था और उसने स्ट्रांग रुम में यूनिक भाम्बू को प्रवेश करवाकर मोबाइल से पेपर की फोटो खिंचवाई थी। राजेन्द्र कुमार यादव ने पेपर लीक के जरिए एक बेटे को पी.डब्ल्यू.डी. में इंजीनियर बनवाया तथा बहू को महारानी स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर बनवाया था।

अमेरिका से आयातित सामान पर भारत...

■ **फैडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गजाइज़ेशन ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि सरकार उनकी मदद करे, ताकि वे भारत में निर्मित सामान को अमेरिका में ''डिस्प्ले'' कर सकें। उदाहरण के लिये भारतीय बिज़नैस के लिए, अमेरिका के ट्रेड-एक्सपो में भाग लेना आसान करे।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो रही, अमेरिका ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी का जवाब है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में उथल-पुथल मचा दी है और कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसमें अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं। अमेरिकन नीति का साइड इफैक्ट कम करने के लिए भारत सक्रिय कदम उठा रहा है।

अमेरिका के असिस्टैंट यूएस ट्रेड रिप्रज़ेन्टेटिव ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए भारत आया था। चर्चा में एक न्यायोचित फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई ताकि दोनों देशों में द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमैंट हो सके। यात्रा में बताया गया कि दोनों देश व्यापारिक विवाद हल करने व आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन बातों का आधार 2025 के अंत तक ट्रैड एग्रीमैंट को अंतिम रूप देना था और आपसी व्यापार 200 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक करना था। टैरिफ कटौती और बाज़ार तक पहुँच, खासकर कृषि व औद्योगिक उत्पाद के क्षेत्र में, पर चर्चा की गई।

घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने व निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारत ने इलैक्ट्रिक वाहन बैटरियों व मोबाइल फोन बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे घरेलु उत्पादकों को मदद देने के लिए है।

इसके अलावा भारत की एक संसदीय समिति ने सरकार को आयातित कच्चे माल पर टैरिफ घटाने का सुझाव दिया। इस सिफारिश का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को कर प्रणाली के बदलाव से राहत है, जहाँ कच्चे माल पर टैक्स तैयार उत्पाद से अधिक होता है और इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।

सरकारी विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिकन टैरिफ के नए प्रस्ताव से भारत से हो रहे अमेरिकी निर्यात का 87 प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। इस गिरावट को रोकने के लिए भारत 55 प्रतिशत अमेरिकन आयात से 5 से 30 प्रतिशत तक शुल्क कटौती कर सकता है और कई उत्पादों पर तो टैक्स में भारी कटौती हो सकती है और कुछ को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पर अभी चर्चा ही चल रही है। अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वैकल्पिक उपयोग पर भी चर्चा चल रही है जिसमें सैक्टर के आधार पर टैरिफ का समायोजन और विशिष्ट उत्पादों पर चयनात्मक कटौती शामिल है।

चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मसला कृषि है। दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग की बात स्वीकार करते है लेकिन हितों के बीच जो खाई है उसे पाटना कठिन हो रहा है। भारत के नीति निर्माताओं पर आयातित कच्चे माल पर टैरिफ कम करने का दबाव है।

भारत के व्यापान निकायो में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गजाइज़ेशन ने परिधान, इलैक्ट्रॉनिक्स खिलौने, फुटवियर और बायोकैमिकल्स पर जोर दिया है।

संगठन के महानिदेशक अजय सहाय ने सरकार से मांग की है कि अमेरिकन व्यापार प्रदर्शनियों में भारतीयों की सक्रिय भागीदारी के लिए मदद देने की मांग की है।

भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकन टैरिफ चिंता का विषय है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल ने सरकार से अमेरिकन सामानों जैसे स्टील स्क्रैप, नहर, कॉस्टिंग्स और फॉर्जिंग पर टैक्स घटाने की मांग की है।

आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, क्या यह समय भारत-अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में नया मोड़ साबित होगा या प्रगति को अवरूद्ध कर देगा। जैसे-जैसे समय करीब आ रहा है, दोनों देशों को निर्णय लेना होगा कि समझौते का रास्ता चुने या आर्थिक टकराव का जोखिम उठाएं।

'किसान सिर्फ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसीलिए हम किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसान उत्पादन संगठन मार्गदर्शिका का विमोचन किया तथा लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान, सफल एफपीओ पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचन्द सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, जेठानंद व्यास सहित बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिला पुलिस और लाइन का जाब्ता जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा तथा जेल विभाग को सूचना देकर सर्च शुरू कर दी।

सदा से वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विकासशील देशों के सार्वजनिक कर्ज़ प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं तो हम उभरते बाज़ारों और विकसित देशों के कर्ज़ प्रोफाइल में विशाल अंतर देखते हैं।

ओ.ई.सी.डी. देशों में जारी किए गए संप्रभु कर्ज़ का 2025 में 17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 में 14 ट्रिलियन डॉलर था। उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों का कर्ज़ आंकड़ा भी काफी बढ़ा है, लेकिन यह अमीर देशों के मुकाबले काफी कम है, जो 2007 में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर था और 2024 में 3 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है।

सरकारी कर्ज़ का एक पहलू, जो सामान्यत: कम सराहा जाता है, यह है कि सरकारी कर्ज़ को भुगतान के माध्यम से शायद ही कभी समाप्त किया जाता है। यह बस रीसाइकिल होते रहते हैं, अर्थात् मैच्योर हो चुके पुराने कर्ज़ को नए कर्ज़ से चुकाया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पुराने कर्ज़ को कैसे रीप्लेस कर रहे हैं।

यदि ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, तो नए कर्ज़ उच्च ब्याज दरों पर लिए जाएंगे और इस प्रकार उधारी की कुल लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा।

वैश्विक वित्तीय बाज़ार वर्तमान में ट्रंप के हंगामों के कारण हचलच में हैं। व्यापार और आर्थिक नीतियों को लेकर अमेरिका की नीतियों में होने वाले बदलाव उलझन पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजारों में व्यापक उतार-चढ़ाव हो रहा है और निवेशकों का पैसा स्टॉक्स से बॉण्ड्स की ओर जा रहा है। अमेरिका के लिए आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की जा रही है और खुद ट्रंप ने भी ऐसी संभावना को स्वीकार किया है।

मंदी की कोई भी बात और निवेशकों का पैसा स्टॉक्स से बॉण्ड्स में जाने के कारण ब्याज दरों में गिरावट होती है। अफवाहें फैल रही हैं कि अमेरिका को 17 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज़ मैच्योर होने वाले हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं हैं। आने वाले दिनों में ब्याज दरों में मामूली कमी अमेरिकी संघीय सरकार को अपने विशाल बकाया कर्ज़ को रीसाइकिल करने की ब्याज लागत को बचाने में मदद कर सकती है। इसलिए, ट्रंप के हंगामे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके थे, ताकि कर्ज़ रीसाइकलिंग पर ब्याज का बोझ कम किया जा सके।

वैसे भी, जो भी हो, दुनिया कर्ज़ पुनर्संरचना के एक विशाल कार्य का सामना कर रही है। ओ.ई.सी.डी. रिपोर्ट में कहा है कि "आगे देखते हुए, कुल संप्रभु कर्ज़ का 42 प्रतिशत और सभी बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड कर्ज़ का 38 प्रतिशत अगले तीन वर्षों में मैच्योर होने वाला है।"

रिपोर्ट यह भी बताती है कि ओ.ई.सी.डी. देशों के लिए रीफायनैंस लागत 2024 में जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत बढ़ गई है, जिससे कुल कर्ज़ भुगतान से जी.डी.पी. का अनुपात 3.3 प्रतिशत से अधिक हो गया है। यह कम से कम एक प्रतिशत अधिक है, जितना वे रक्षा पर खर्च करते हैं। अमेरिका के नए रणनीतिक रुख को देखते हुए, इन देशों के लिए इस प्रवृत्ति को पलटना अनिवार्य होगा।

सरकारी बॉन्डस के खरीददारों के प्रोफाइल में कुछ बदलाव दिख रहा है, जिसमें घरेलू स्रोतों से विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य की ओर जाना कर्ज़ भुगतान समस्याओं के स्थायी जोखिम को बढ़ा रहा है।

ओ.ई.सी.डी. रिपोर्ट के अनुसार, ओ.ई.सी.डी. देशों में, केन्द्रीय बैंकों द्वारा घरेलू संप्रभु बॉन्ड्स का स्वामित्व 2021 में कुल बकाया कर्ज़ का 29 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 19 प्रतिशत हो गया, जबकि घरेलू परिवारों का हिस्सा 5 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत और विदेशी निवेशकों का हिस्सा 29 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है।

आइए, हम भारत के कर्ज़ प्रोफाइल और बाहरी झटकों के प्रति हमारी संवेदनशीलता पर एक नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था पर किया गया नवीनतम "आर्टिकल 4 कन्सल्टेशन्स" से संबंधित कुछ पहलुओं की जानकारी मिलती है।

बाहरी कर्ज़ का जी.डी.पी. के प्रतिशत के रुप में हिस्सा 18.9 प्रतिशत है और यह 2025-26 में घटकर 18.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसमें से शॉर्ट टर्म कर्ज़ केवल 8.3 प्रतिशत है, जिसे संवेदनशीलता का एक मानक माना जाता है, क्योंकि यह तत्काल भुगतान के बोझ को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, कर्ज़ प्रोफाइल समय के साथ सुधर रहा है, क्योंकि फिस्कल कन्सॉलिडेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है और गवरमैंट फायनैंसेज़ में संतुलन प्राप्त किया जा रहा है। निस्संदेह, अर्थव्यवस्था की स्थिति में उत्साह, जिसका संकेत बढ़ते कर संग्रह से मिलता है, ने इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद की है। आखिरकार, बढ़ती लहर सभी नावों को ऊपर उठाती है, सरकार को भी और व्यक्ति को भी।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के स्वीकृत पदों की संख्या 50 है। ऐसे में स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी भी न्यायाधीशों के 12 पद खाली हैं।

न्यायालय कुछ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

...न्याय में आस्था रखने वालों को न्याय मिलेगा। लेकिन जो लोग कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें कानून की सीमा के अंदर सबक सिखाया जायेगा। कोई भी बात ऐसी भाषा में ही समझाई जानी चाहिये, जिसे लोग समझते हों। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास हिंसक वृत्ति के साथ आता है, तो क्या हम निकम्मे बने खड़े रहें?"

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908